न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ,चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः टी.ए. 71/2022
पंजीयन दिनांकः 21.10.2022

बाबुलाल गोदपिता मोहनलाल जाति सामरिया (महाजन) निवासी बांसी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. नयन कुमार पिता जगदीश चन्द आगाल जाति माहेश्वरी निवासी गांधीनगर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. चेतन कुमार पिता जगदीश चन्द आगाल जाति माहेश्वरी निवासी गांधीनगर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. उप-पंजीयक एवं तहसीलदार बडीसादडी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी प्रकरण संख्या 132/2013 रेवेन्यू प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 01.09.22

उपस्थित वक्त बहस

1. राहुल पंचोली- अधिवक्ता अपीलान्ट
2. अनुराग ओझा -अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट-1 व 2
3. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं.3

निर्णय **दिनांक 16.12.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलान्ट प्रार्थी ने रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा बांसी तहसील बडीसादडी की खाता सं. 345 मे दर्ज आराजी नम्बर 259 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा आराजी नम्बर 261 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा आराजी नम्बर 263 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा आराजी नम्बर 266 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा आराजी नम्बर 267 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा जो आ.चा. नम्बर 260 रकबा 5 बिस्वा से सिंचित होती है। उपरोक्त कृषि आराजीयात अपीलान्ट प्रार्थी के गोदपिता मोहनलाल की पुश्तैनी होकर मोहनलाल के कोई नरसंतान नही होने से उन्होने अपने जीवनकाल मे दिनांक 13.10.2003 को पंजीकृत गोदनामा अपीलान्ट प्रार्थी के पक्ष मे निष्पादित कर उसे अपना गोदी पुत्र माना है। तभी से अपीलान्ट प्रार्थी मोहनलाल के पैतृक कृषि आराजीयात पर उनके साथ संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। मोहनलाल की मृत्यु पर उनके सारे सामाजिक व धार्मिक क्रियाकर्म अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा सम्पादित किये गये। जिससे अपीलान्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अर्थी विवादित कृषि आराजीयात को अपने खातेदारी मे घोषित कराने का अधिकारी है। उक्त कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज होने से कृषि आराजीयात को खुर्द-बुर्द हस्तान्तरण करने पर आमादा है। उनके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखाई जावे व उसके साथ ही प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वाद सुनवाई अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अस्वीकारोक्ति का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वाद सुनवाई वर्ष 2013 से जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त किया गया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की।

इस न्यायालय मे अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर अपीलान्ट प्रार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रार्थी ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट प्रार्थी ने रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मोजा बांसी तहसील बडीसादडी की खाता सं. 345 मे दर्ज आराजी नम्बर 259,261,263,266,267, जो चाह नम्बर 260 से सिंचित होती है। उपरोक्त कृषि आराजीयात अपीलान्ट प्रार्थी के गोदपिता मोहनलाल की पुश्तैनी आराजीयात होकर मोहनलाल के कोई नरसंतान नही होने से मोहनलाल ने अपने जीवनकाल मे दिनांक 13.10.2003 को अपीलान्ट प्रार्थी के पक्ष मे गोदनामा निष्पादित व पंजीकृत करवाया व उसे अपना गोदीपुत्र कायम किया तभी से अपीलान्ट प्रार्थी मोहनलाल के कृषि आराजीयात पर उसके साथ संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। मोहनलाल की मृत्यु होने के बाद उसके सारे सामाजिक व धार्मिक क्रियाक्रम अपीलान्ट प्रार्थी के द्वारा सम्पादित किये गये। गोदनामा दिनांक 13.10.2003 पंजीकृत होने पर अपीलान्ट प्रार्थी मोहनलाल की पैतृक सम्पत्ति मे हक व अधिकार उत्पन्न होते है। स्वर्गीय मोहनलाल ने अपीलान्ट प्रार्थी के पक्ष मे गोदनामा पंजीकृत करवाने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम उक्त कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे दिनांक 04.01.2007 को विक्रय पत्र निष्पादित करवा दिये है। जो अपीलान्ट प्रार्थी के हक व अधिकारो के मुकाबले शून्य व अप्रभावी दस्तावेज है। रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे जवाब प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 27.09.2004 को अपीलान्ट प्रार्थी के द्वारा लिखे गये शपथ पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। पंजीकृत गोदनामा शपथ पत्र की फोटो प्रति से निरस्त नही किया जा सकता है। उक्त शपथ पत्र पर अपीलान्ट प्रार्थी के कही हस्ताक्षर नही है। उक्त शपथ पत्र के आधार पर अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22.06.2009

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

करवाई गई है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 22.05.2009 को वादपत्र व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। मौके पर कब्जे बाबत् कमिश्नर रिपोर्ट का आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसका निस्तारण किये बगैर ग्रामवासियो की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्रो को नजर अंदाज कर गोदनामा वर्तमान मे प्रभावी होते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बिना किसी विवेचन के निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया है। जिसके विरुद्ध अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 विपक्षीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलान्ट प्रार्थी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 विवादित कृषि आराजीयात पंजीकृत बहनामे से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। वर्तमान मे मोहनलाल खातेदार नही होकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 खातेदार काश्तकार है। विवादित कृषि आराजीयात मोहनलाल पिता मुरलीधर महाजन के खातेदारी मे रही है। मोहनलाल द्वारा पंजीकृत बहनामे से विक्रय करने पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम दर्ज रेकार्ड हुई है। मोहनलाल का दिनांक 11.08.2007 को स्वर्गवास हो चुका है। अपीलान्ट प्रार्थी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे मोहनलाल के स्वर्गवास होने व विवादित कृषि आराजीयात पंजीकृत बहनामे से रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम दर्ज होने के पश्चात् दिनांक 22.05.2009 को वादपत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से दिनांक 19.06.2009 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित सभी तथ्यो को अस्वीकार किया गया है। जवाब के समर्थन मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से पंजीकृत विक्रय पत्र की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई है। वक्त बहस रेस्पोडेन्ट ने नकल जमाबन्दी मोजा बांसी तहसील बडीसादडी की खाता सं. 152 प्रस्तुत की जिसमे अपीलान्ट के पिता का नाम बद्रीलाल अंकित है। बहस के समर्थन मे आर.बी.जे. 2020 (27) पेज 62 प्रस्तुत की जिसमे अपीलान्ट रेकार्डेड खातेदार नही है न ही कब्जे मे है जिससे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने निगरानी खारीज की है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने खातेदार व कब्जेदार रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 विपक्षीगण को होना मानते हुए व गोद के बिन्दु को तय करने का अधिकार राजस्व न्यायालय का नही होकर सिविल कोर्ट के क्षैत्राधिकार का होना मानते हुए अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है। जो विधिसम्मत होकर अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त फरमाई जावे।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व आदेश जो पंजीकृत बहनामा से खातेदारान के विरुद्ध चाहा गया है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यो को साक्ष्य व सबूत विरुद्ध अपीलान्ट प्रार्थी होना मानते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना उचित बताते हुए अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओ की ओर से प्रस्तुत बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट प्रार्थी ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के विरूद्ध घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया है। उक्त वादपत्र के साथ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से विस्तृत जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पंजीकृत बहनामे की फोटोप्रतियां प्रस्तुत की जिसमे विवादित कृषि आराजीयात मोहनलाल सामरिया महाजन के खातेदारी की थी। खातेदार ने पंजीकृत बहनामे से उक्त कृषि आराजीयात दिनांक 04.01.2007 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। साथ ही बाबुलाल की ओर से निष्पादित शपथ पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की जो बाबुलाल ने मोहनलाल का गोदपुत्र नही रहने बाबत् गोद को निरस्त करने के सम्बन्ध मे निष्पादित किया गया है। वक्त बहस रेस्पोडेन्टगण ने नकल जमाबन्दी मोजा बांसी तहसील बडीसादडी की खाता सं. 152 प्रस्तुत की जिसमे अपीलान्ट के पिता का नाम बद्रीलाल अंकित है। बहस के समर्थन मे आर.बी.जे. 2020 (27) पेज 62 प्रस्तुत की जिसमे अपीलान्ट रेकार्डेड खातेदार नही है न ही कब्जे मे है जिससे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने निगरानी खारीज की है। जिससे अपीलान्ट प्रार्थी मोहनलाल का गोदपुत्र है या नही यह तथ्य मूल वाद मे साक्ष्य व सबुत से तय होना है। अपीलान्ट प्रार्थी ने पंजीकृत बहनामे से क्रेता जो वर्तमान मे खातेदार व कब्जेदार है उनके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से खातेदार व कब्जेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाहने से अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत होने से अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट प्रार्थी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी के प्रकरण संख्या 132/2013 प्रार्थना पत्र मे पारित निर्णय व आदेश दिनांक 01.09.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)